न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी का नाम :– बलबीर सिंह (R.A.S)

करण संख्या :– 107 / 2024

केस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दायर दिनांक :– 21.08.2024

निर्णय दिनांक :– 01/07/2025

उनवान

1. मंगलचन्द पुत्र सुखदेव (मृतक)
   - 1 / 1. ओमप्रकाश पुत्र मंगलचन्द
   - 1 / 2. लादूराम बागडा पुत्र मंगलचन्द
   - 1 / 3. प्रेम देवी पुत्री मंगलचन्द
   - 1 / 4. गोपाल लाल पुत्र मंगलचन्द(फौत)
     - 1 / 4 / 1. लाली देवी पत्नी गोपाल।
     - 1 / 4 / 2. नितेश शर्मा पुत्र गोपाल।
     - 1 / 4 / 3. हीरा कुमारी शर्मा पुत्री गोपाल।
     - 1 / 4 / 4. मीरा कुमारी पुत्री गोपाल।
     - 1 / 4 / 5. सुमन बागडा पुत्री गोपाल।

समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी केरियाकाबास बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

:.............प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र कानाराम
2. केसर लाल पुत्र गणेश
3. गोपाल पुत्र गणेश
4. देवी लाल पुत्र भोमाराम
5. नाथू लाल पुत्र भोमाराम
6. नारायण पुत्र कानाराम
7. मुकेश पुत्र भंवरलाल
8. मदन पुत्र गणेश
9. रामेश्वर पुत्र भौरीलाल
10. सीताराम पुत्र भंवरलाल

    समस्त जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम देवला, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
11. विष्णु कुमार पुत्र दामोदर लाल जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी देवकरण की ढाणी बगरू जयपुर।
12. पवन चौधरी रामकरण चौधरी जाति जाट निवासी 51 कीर्ति सागर सी नान्यावास न्यू सांगानेर मानसरोवर जयपुर।

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक महोदय मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

उपस्थित : 1. श्री रामकिशोर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।
1. श्री विनोद जैन अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 11 व 13
2. विपक्षी संख्या 12 उपस्थित नहीं ।
3. विपक्षी संख्या 14 व 15 पेरोकार सरकार उप0।

उप खण्ड अधिकारी मौजमाबाद (जयपुर)

:: निर्णय::

प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 2 2 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम देवला खाता संख्या 152 के खसरा नम्बर 1299 रकबा 2.080 है0, में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर अपने अपने हिस्सेनुसार निरन्तर काबिज चले आ रहें है। वाद अधीन कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है इसलिये प्रार्थी ने समय-समय पर अप्रार्थीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड (सरस नरस) में विभाजन करवाने हेतु कहता रहा है पूर्व में तो अप्रार्थीगण विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरतें रहें परन्तु अब चूँकि जयपुर जिला की कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधि वृद्वि हो चुकी है इसलिये अप्रार्थीगण की नियत फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द-बुर्द एवं प्लोटिंग कर विक्रय करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नही हो जाता है। तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय-हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण उक्त गैर कानूनी व विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थी को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू-भाग से बेदखल करने एवं अप्रार्थीगण विशिष्ठि भू-भाग पर कब्जा करने एवं निर्माण करके विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इस संबंध में अप्रार्थीगण में से कुछ अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण सामग्री डाल दिनांक 16.08.2024 निर्माण करने लगे जिसका प्रार्थी द्वारा अन्य अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू-भाग से बेदखल करेगे, तथा बाहुबल के आधार पर प्रार्थी को बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने को कोई विधिक अधिकार नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आ रहें है इसलिये प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारो की सुरक्षार्थ माननीय न्यायायल हाजा में यह दावाप्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पडा है। अतः मूल वाद के निरतारण तक अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगण वाद अधीन भूमि को विक्रय-हस्तानतरण एवं खुर्द-बुर्द करने, कच्चा पक्का निर्माण करने, कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने में सफल हो जावेगें और प्रार्थी को बाहुबल के आधार पर बेदखल कर देगें जिससे वाद बाहुलता होगी न्याय व न्यायायल का अतिरिक्त भार बढेगा और प्रार्थी को अनेको विचारण का सामना करना पडेगा, जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी, जिससे प्रार्थी का प्रा0पत्र0 स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी

जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति रखने बाबत पाबन्द फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 12 बाद तामील सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व कार्यवाही एकतरफा की गई। विपक्षी संख्या 11 व 13 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद जैन एड0 ने वकालत पत्र मय जवाब पेश किया जो ल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 11 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया वादग्रस्त जीयात ग्राम देवला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमें हम अप्रार्थी संख्या 1 से 11 । हिस्से अनुसार काबिज है जिसको अप्रार्थी संख्या 13 ने पूर्व खातेदारों से अन्य खातेदारों की सहमति क्रय कर मौके पर जहां पूर्व खातेदार काबिज थे उस अनुसार काबिज काश्त है। पक्षकारान संयुक्त रूप मौके पर काबिज नहीं होकर आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त है जिस नुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 11 मिन उत्तरदाता देवला से बोराज के दक्षिण दिशा में उक्त भूमि स्थित है स पर अप्रार्थी संख्या 1 से 11 खसरा नम्बर 1299 के पूर्व में खसरा नम्बर 1301 के लगता मौके पर ाबिज है जिस अनुसार उत्तर दक्षिण रास्ते की ओर मौके पर काबिज काश्त है अप्रार्थी संख्या 13 परोक्त भूमि पर जिस अनुसार सहमति से काबिज है उसको संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है था अन्य हिस्सेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 11 एक ही जगह लाल स्याही से दर्शाये अनुसार मौके पर काबिज है तथा हिस्सेनुसार उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1299 का विभाजन करवाने के अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 व अन्य खातेदार किसी भूभाग पर जबरन कब्जा नही करना चाहते है न कोई निर्माण कर रहे है प्रार्थी अन्य खातेदारान जो मौके पर आपसी सहमति से काबिज काश्त चले आ रहे है उसमें मजाहमत करते हुये विधिवत विभाजन नही होने से उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिसमें मौके पर आपसी सहमति से काबिज काश्त है उस अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 1299 पर अप्रार्थी संख्या 13 पश्चिम की ओर उत्तर दक्षिण रास्ते के ओर संलग्न नक्शे में दर्शित पीले रंग के अनुसार करबिज है एवं शेष खातेदार हम निम्न उत्तरदात इसी अनुसार पश्चिम की ओर मौके पर रास्ते की ओर उत्तर दक्षिण काबिज है तथा इसी अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी। प्रार्थी विवादित भूमि पर सहखातेदारों को उनकी आपसी सहमति से मौके पर काबिज है उस जगह से बेदखल कर प्रार्थी काबिज होना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकारी नही है पक्षकारान विवादित भूमि पर आपसी सहमति से मौक पर काबिज काश्त है उस अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 13 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 13 का 1/8 हिस्सा है जिसको अप्रार्थी संख्या 13 ने पूर्व खातेदार काबिज थे उस अनुसार काबिज काश्त है। विवादित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 13 का 1/8 हिस्सा है उक्त हिस्सा 1/8 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 13 खसरा नम्बर 1299 के पश्चिम की ओर उत्तर दक्षिण संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाये हिस्से काबिज काश्त चल आ रहा है इस अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है तथा इसी अनुसार विभाजन किया जावे जिसमें सभी पक्षकारान को रास्ते की सुविधा मिलेगी एवं इसी अनुसार विभाजन किया जावे। अप्रार्थी संख्या 13 व अन्य खातेदार किसी भी भू–भाग जवरन कब्जा नही करना चाहते है न कोई निर्माण कर रहे है प्रार्थी अन्य खातेदारान जो मौके पर आपसी सहमति से काबिज काश्त चले आ रहे है उसमें मजाहमत करते हुये विधिवत विभाजन नही होने से उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अतः श्रीमान अप्रार्थी संख्या 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कर दिया गया तो अप्रार्थी संख्या 13 को असहनीय हानि होगी।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस माने जाने का निवेदन किया । विपक्षी संख्या 1 से 11 व 13 के अधिवक्ता ने निवेदन

उप खण्ड अधिकारी

कि प्रश्नगत भूमि पर आपसी सहमति से मौके पर काबिज काश्त है उस अनुसार विभाजन करवाना चाहते है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिस पर 3 बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना है। 1 प्रथम दृष्टया मामला 2 सुविधा का संतुलन 3 अपूरणीय क्षति

उक्त बिन्दुओं के सम्बंध मे हमारा विवेचन व विनिश्चय निम्न प्रकार है –

प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात [illegible] जमाबंदी का अवलोकन पर जाहिर होता है कि राजस्व ग्राम देवला खाता संख्या 152 के 3 [illegible] ख0 नम्बर [illegible] रकबा 2.0800 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 2.0800 है0 कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या संख्या 1 से 13 के साथ रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 13 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होकर अविभाजित भूमि है है जिसका प्रार्थी मिट्स एव बाउण्ड्स के आधार विभाजन करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 13 का कथन है कि पक्षकारान मौके पर आपसी सहमति से काबिज काश्त है अतः उन्हे अनुसार विभाजन किया जाना चाहिए। **उक्त परिपेक्ष्य सन्दर्भ विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त 2018-19 (Supp) RRT 531, 2020(2) RRT 1081, 2015(1) RRT 479 का अवलोकन किया गया।** बाद अवलोकन पत्रावली एव न्यायिक दृष्टान्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 13 की संयुक्त आराजीयात होकर अविभाजित है। जिनका विभाजन का वाद प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया जिसे साक्ष्य ग्रहण करने के उपरान्त ही निर्णीत किया जा सकेगा। किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे वादग्रस्त भूमियो के सम्बन्ध मे उभयपक्षो के हक व अधिकारो के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की विभाजन की अंतिम डिक्री मूल वाद मे गुणावगुण पर अंतिम रूप से जारी की जावेगी । अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर बाहमी बटवारे व अप्रार्थी संख्या 13 को विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा सुपुर्द करने के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः इस स्थिति मे मूल वाद के निर्णय तक तक वादग्रस्त भूमियों को खुर्द–बुर्द होने से रोका जाना,प्रकरण मे आगे वाद बाहुल्यता उत्पन्न होने और अन्य विधिक जटिलताऐं उत्पन्न होने से रोकना पूर्णतया अपेक्षित व न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे विनिश्चित किया जाता ।

सुविधा का संतुलन :– जहा तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रथम दृष्टया मामले अनुसार ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे पाया जाता है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

अपूरणीय क्षति :– जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे मूल वाद विभाजन का प्रस्तुत कर रखा है। जिसमे साक्ष्य ग्रहण करने पश्चात प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन का निर्धारण किया जाना है। एव प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के विक्रय/अन्तरण पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि के विक्रय/अन्तरण होने पर अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को कारित होने की संभावना है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी

-: आदेश :-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक [illegible]ण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि [illegible]त आराजीयात की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली [illegible] की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय मेरे इजलास सुनाया गया।

(ब्रजवीर सिंह H.A.S)
उपजिलाधिकारी
[illegible] (जनपद [illegible])

[illegible] आदेश आज दिनांक 01/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(ब्रजवीर सिंह H.A.S)
उपजिलाधिकारी
[illegible] (जनपद [illegible])